राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांकः– ई–33/प्रयो.सहा./ 99 /2017/325 दिनांक : 07.11.17

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती/2017/310 दिनांक 26.10.17 के द्वारा श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री हेम सिंह की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर करते हुये पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के अधीन किया गया था, के स्थान पर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के अधीन प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है। आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– ई–33/प्रयो.सहा./ 99 /2017/325 दिनांक : 07.11.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
5. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थी से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनाँक **08.11.2017** को विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को प्रेषित कर लेख हैं, कि निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनाँक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर कमेटी की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि मनोनित करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :–

(i) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(iii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।

(v) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।

(vi) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
10. श्री प्रेम सिंह पुत्र हेम सिंह निवासी बाडमेर अगरो तहसील व जिला बाडमेर, को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
11. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर